संख्या–553 / 9–आ–1–1999

प्रेषक,

रामबृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में, **1.आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2.उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 4 फरवरी,1999

विषय : विकास प्राधिकरण तथा अवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में लीज पर आवंटित भूखण्डों का फ्री–होल्ड में परिवर्तन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या : 1639 / 9–आ–1–95–8– मिस / 86 दिनांक 10.5.1995 तथा जारी संशोधन संख्या 1778 / 9–आ–1–93–213 डी0ए0 / 94 आवास अनुभाग–1 दिनांक 24.5.95 का संदर्भ ग्रहण करें। शासन द्वारा आवास नीति कार्य योजना के अन्तर्गत लीज पर आवंटित भूखण्डों को फ्री–होल्ड में परिवर्तन करने को प्राथमिकता दी गयी है, किन्तु इस विषय में कोई उल्लेखनीय प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही हैं यह बात कई बैठकों में चिन्तनीय विषय रहा है। इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भूमि को फ्री–होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश में निहित धनराशि जमा करायी जाए तथा अतिरिक्त अन्य विषयों पर जैसे कि भवन मानचित्रों की स्वीकृति, शमन, अनिर्माण आदि प्रकरणों पर न दिया जाए तथा फ्री–होल्ड कर दिया जाए ताकि प्रगति बढ़ाकर आय को बढ़ाया जा सके। इससे नये आवंटियों का फ्री–होल्ड के साथ–साथ रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और पुराने आवंटियों को शासनादेश के अनुसार लीज रेट जमा करने, लीज नवीनीकरण करने, सम्पत्ति के विक्रय या हस्तांतरण पर सम्बन्धित अभिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करने आदि की समस्याओं का सामना करने से भी राहत मिलेगी। उपरोक्त अन्य विषयों पर फ्री–होल्ड करने के उपरान्त आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाए।

भवदीय,
रामबृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव